

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम,
कौटिल्य नगर, पटना-14.

फोन नं- 0612.2223727
फैक्स नं-0612.2224529


(द्विबीड़ पद्धति)

अत्पकालीन ई0-निविदा सूचना संख्या- 22/2020-21

- 1 विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता : मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना।
- 2 निविदा आमंत्रित करने की तिथि : दिनांक- 01-02-2021
- 3 निविदा कागजात प्राप्त करने (डाउनलोड करने) की अंतिम तिथि एवं समय : दिनांक- 10-02-2021 से 17-02-2021 को 17:00 बजे अपराह्न तक।
- 4 निविदा जमा करने (अप लोड करने) की अंतिम तिथि एवं समय : दिनांक- 10-02-2021 से दिनांक - 20-02-2021 को 17:00 बजे तक।
- 5 (क) तकनीकी विड खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक- 22-02-2021 को 16:00 बजे।
(ख) वितीय विड खोलने की तिथि एवं समय : तकनीकी बीड का निष्पादन सक्षम प्राधिकार से होने के पश्चात।
- (ग) शपथ पत्र मूल में, परिमाण-विपत्र का मूल्य तथा विधिवत रूप में अग्रधन की देय राशि जमा करने की तिथि, समय एवं स्थान : कंडिका- 42 के अनुसार
- 6 प्री विड मिटिंग की तिथि, समय एवं स्थान : दिनांक:- 12-02-2021 को 15:00 बजे।
मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना के कार्यालय कक्ष में।
- 7 निविदा पत्र बिक्री का स्थान : www.eproc.bihar.gov.in पर।
- 8 निविदा की वैद्यता अवधि : 120 दिन।
- 9 कार्य का विवरण :- :

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य0 अभि0, वि�0पु0भ0नि�0नि�0, कार्य प्रमण्डल	परिमाण विपत्र की राशि (लाख रु0 में)	अग्रधन की राशि (रु0 में)	निविदा कागजात का मूल्य (रु0 में)	निविदा प्रसंस्करण शुल्क रु0 में	कार्य समाप्ति की अवधि
1.	पटना जिलान्तर्गत सी0टी0आई0 बिहटा में केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान / विशेषगण बिहटा के 07 अद्द ब्लॉक (G+1) शौचालय-स्नानागार का विद्युतिकरण सहित मरम्मति कार्य। (पुर्ननिविदा)	पटना	41.94	83800	5000	1180	3 माह
2.	सीवान जिलान्तर्गत नगर, महिला थाना, अनु0 जाती, मुफकसिल, हुसैनगंज, बड़हरिया, जीरादेइ, मैरवा, नौतन, दरौली, गुठनी, आंदर, रघुनाथपुर, सिसवन, महाराजगंज, दरौंधा, गोरिया कोठी, बसंतपुर सहित सभी थानों में आगंतुक कक्ष का फर्निचर एवं विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य। (पुर्ननिविदा)	मुजफ्फरपुर कैम्प हाजीपुर	88.06	176200	10000	5900	5 माह
3.	सीतामढी जिलान्तर्गत सीतामढी, डुमरा, रीगा, मेजरगंज, वैरगनिया, बेलसंड, सहियारा, परसौनी, रुन्नीसैदपुर, सुरसंड, बथनाहा, बेला, परिहार, सोनबरसा, कन्हौली, पुपरी, नानपुर, बाजपट्टी, महिला, अनु0 जाती सहित सभी थानों में आगंतुक कक्ष का फर्निचर एवं विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य। (पुर्ननिविदा)	दरभंगा	99.23	198500	10000	5900	5 माह

कृ०प०उ०...2/



4.	गया जिलान्तर्गत सी0आर0पी0एफ० कैम्प सेवरा में 10 सीटेड स्नानागार, 01 अदद एवं 08 सीटेड शौचालय का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य। (पुर्ननिविदा)	मगध प्र० कैम्प डेहरी ऑनसोन	49.61	99300	5000	1180	5 माह
5.	अररिया जिलान्तर्गत बैरगाढ़ी ओ० पी० थाना में ग्रेड-2 थाना भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य। (पुर्ननिविदा)	पूर्णियाँ	67.04	134100	10000	5900	9 माह
6.	गया जिलान्तर्गत सिन्धुगंज ओ०पी० में ग्रेड-2 थाना भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	मगध प्र० कैम्प डेहरीऑनसोन	70.21	140500	10000	5900	9 माह
7.	पूर्णियाँ जिलान्तर्गत बायसी थाना के चहारदिवारी का निर्माण कार्य।	पूर्णियाँ	84.33	168700	10000	5900	5 माह
8.	मधुबनी जिलान्तर्गत फुलपरास थाना में चहारदिवारी, पहुंच पथ एवं कैम्पस डेवलपमेंट का निर्माण कार्य।	दरभंगा	139.32	278700	10000	5900	5 माह
9.	मधुबनी जिलान्तर्गत भेजा थाना में चहारदिवारी, पहुंच पथ एवं कैम्पस डेवलपमेंट का निर्माण कार्य।	दरभंगा	130.72	261500	10000	5900	5 माह
10.	दरभंगा जिलान्तर्गत पुलिस लाईन में त्वरित विचारन शाखा के छत का विद्युतिकरण सहित मरम्मति कार्य।	दरभंगा	54.04	108100	10000	1180	3 माह
11.	भागलपुर जिलान्तर्गत मुंगेर में बैरक सं०- 01 एवं 02 का विद्युतिकरण सहित मरम्मति कार्य।	भागलपुर	103.37	206800	10000	5900	3 माह
12.	मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत अहियापुर थाना में चाहरदिवारी का निर्माण कार्य। (एस०सी०ए० योजना)	मुजफ्फरपुरप्र० कैम्प हाजीपुर	90.53	181100	10000	5900	5 माह

10. निविदा स्वीकृत करनेवाले पदाधिकारी का पदनाम एवं पता:- सक्षम प्राधिकार
11. कोई भी संवेदक जो केन्द्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्रों में समुचित श्रेणी में निबंधित हो निविदा में भाग ले सकते हैं, परन्तु कार्य का आवंटन आदेश प्राप्त होने के बाद विहार पुलिस भवन निर्माण निगम में समुचित श्रेणी में निबंधन करना अनिवार्य होगा। अगर किसी संवेदक को पूर्व में विहार पुलिस भवन निर्माण निगम से कार्य किसी अन्य विभाग के निबंधन पर आवंटित हुआ है तथा उनके द्वारा अभी तक निगम में निबंधन नहीं कराया गया है तो वैसे संवेदक निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।
12. विद्युतीकरण कार्य सहित कार्य की निविदा के लिए विद्युतीकरण कार्य का लाईसेंस होना अनिवार्य होगा, विद्युतीकरण कार्य के संवेदक को सब कांट्रैक्टर के रूप में रखकर भी निविदा में भाग लिया जा सकता है जिसके लिए उभयपक्ष द्वारा इस आशय का शपथ—पत्र मूल में समर्पित करना अनिवार्य होगा। सिर्फ विद्युतीकरण कार्य के लिए विद्युतीकरण कार्य के स्वयं का लाईसेंस अनिवार्य होगा।
13. वैसे संवेदक जो किसी भी विभाग में निविदा में भाग लेने से वंचित (Debar) हैं या काली सूची में अंकित हैं निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं हैं।
14. परिमाण विपत्र की राशि अंक गणितीय गणना में स्वीकृति के पश्चात घट/बढ़ सकती है। तदनुसार अग्रधन की राशि भी घट / बढ़ सकती है। निविदा आमंत्रण सूचना एवं परिमाण विपत्र की भाषा सांकेतिक है। समुचित अग्रधन की राशि के अभाव में निविदा अमान्य समझी जायेगी।
15. निविदा केवल ई-निविदा पद्धति के अनुसार www.eproc.bihar.gov.in पर निष्पादित किया जाएगा। ई-निविदा संबंधित जानकारी, एम/22,बैंक ऑफ इंडिया विल्डींग, रोड नं०-25, श्री कृष्णानगर, पटना-01 के दुरभाष संख्या -0612 2545306 से प्राप्त किया जा सकता है।
16. ई-निविदा में भाग लेने के इच्छुक संवेदकों को ई-प्रोक्योरमेंट के साथ निबंधन कराना होगा। वेबसाइट पर आवश्यक निबंधन प्रपत्र उपलब्ध है। इस निबंधन से उन्हें user id तथा password मिलेगा। संवेदकों को DSC (Digital Signature Certificates) भी प्राप्त करना होगा। user id, password, DSC एवं इन्टरनेट के उपयोग से ही संवेदक ई-निविदा में भाग ले सकेंगे।
17. निविदा प्रपत्र वेबसाइट पर Tender free View में उपलब्ध है जिसे सिर्फ वेबसाइट से ही प्राप्त (डाउनलोड) किया जा सकता है।

कृपृष्ठ०३/०४

18. निविदा कागजात भरकर वेबसाइट पर हीं जमा (अपलोड) किया जां सकेगा। निविदा खुलने की जानकारी वेबसाइट से ही प्राप्त होगी। निविदा संबंधित किसी भी प्रकार का शुद्धि पत्र वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा।
19. बीड प्रोसेसिंग फीस एवं सर्विस टैक्स (अप्रतिदेय) का भुगतान संवेदक अनिवार्य रूप से ऑन लाइन विधि यथा Internet Payment Gateway (Credit/Debit Cards) अथवा Internet Banking अथवा NEFT/RTGS Challan के माध्यम से B.S.E.D.C. के Bid-Processing Fee Account में Credit किया जायेगा। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा।
20. निविदा डालने के समय सभी प्रमाण-पत्रों की स्वहस्ताक्षरित पठनीय छायाप्रति निविदा कागजातों के साथ संलग्न (अपलोड) करना आवश्यक होगा। निविदा कागजात का मूल्य (जो किसी भी स्थिति में लौटायी नहीं जायेगी) किसी राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के रूप में अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना के पदनाम से पटना में भुगतेय होना चाहिए।
21. अग्रधन के रूप में छः/पाँच वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र/बैंक ड्राफ्ट/सावधि जमा, किसान विकास पत्र जो संबंधित कार्य प्रमण्डल, कार्यपालक अभियंता के पदनाम से निविदा के बाद की तिथि का विधिवत प्रतिज्ञापित किया हो वैद्य होगा अथवा एक करोड़ से अधिक के निविदा हेतु बैंक गारंटी जो विड के मान्य अवधि से 45 दिनों अधिक अवधि तक के लिए बिहार अवस्थित किसी राष्ट्रीय बैंक या अनुसूचित बैंक से निर्गत हो। (अगर बिहार प्रान्त के बाहर के बैंक से निर्गत बैंक गारंटी दिया जाता है तो एकरानामा के पूर्व इसे बिहार अवस्थित किसी बैंक से निर्गत कराया जाना अनिवार्य होगा) अग्रधन के रूप में जमा किये जाने वाले कागजात की सभी प्रति निविदा जमा (अपलोड) करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगी। अग्रधन (Earnest Money) की राशि के रूप में जमा डिमान्ड ड्राफ्ट के पीछे निविदाकार का नाम, निविदा सूचना सं0 तथा गुप सं0 अंकित कर समर्पित किया जाय।
22. निविदा द्वि-वीड पद्धति से प्राप्त की जायेगी एवं संबंधित नियम एवं शर्तें लागू रहेगी।
23. कम्पनी एकट के तहत निबंधित संवेदक को निविदा के साथ Certificate of Incorporation, Memorandum of Association and Article of Association तथा Partnership firm/ LLP में Partnership Deed संलग्न करना अनिवार्य होगा।
24. कम्पनी एकट अथवा साझेदारी अधिनियम के तहत निबंधित संवेदक के अग्रधन की राशि कम्पनी/फर्म के नाम से ही मान्य होगा। ऐसे मामले में व्यक्तिगत नाम से अग्रधन की राशि मान्य नहीं होगी।
25. बिना कारण बताये निविदा या उसके अंश को अस्वीकृत करने/रद्द करने/ स्थगित/निविदा तिथि विस्तार करने का अधिकार सक्षम प्राधिकार को सुरक्षित है।
26. संवेदक कार्य में समुचित अनुसूचित दर एवं बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के मुख्य अभियंता द्वारा अनुमोदित विशिष्टि के अनुसार सामग्रियों का उपयोग/प्रयोग करेंगे।
27. मूल निर्माण कार्य के लिए डिफेक्ट लाईविलिटी पिरियड 3 (तीन) वर्ष एवं मरम्मति कार्य के लिए 1 (एक) वर्ष का होगा।
28. कुल प्रावकलित राशि में वास्तविक खर्च का एक प्रतिशत राशि श्रमिकों के लिए कोष (Labour cess) के रूप में बिल भुगतान के समय काट लिया जायेगा। बिहार सरकार खान एवं भूतत्व विभाग के अद्यतन नियमानुसार मालिकाना फीस (Seigniorage Fees) एवं स्वामिस्वि (Royalty) की कटौती/वसूली संवेदक के विपत्रों से की जायेगी, तदआलोक खान एवं भूतत्व विभाग में जमा की जायेगी।
29. निविदाकर्ता को सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि के पूर्व ही समय रहते हुए परिमाण विपत्र डाउनलोड एवं निविदा अपलोड कर दें, अन्यथा अंतिम समय में इंटरनेट सेवा बाधित रहने के कारण निविदा नहीं डाले जाने के लिए कोई दावा मान्य नहीं होगा।
30. कार्यादेश के उपरान्त अद्यतन लेबर लाइसेन्स देना अनिवार्य होगा।
31. कार्य की गुणवत्ता के लिए संवेदक पूर्ण रूप से जिम्मेवार (Responsible) होंगे। कार्य की गुणवत्ता की जाँच सरकार से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से अपने खर्च पर अथवा बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय में स्थित गुणनियन्त्रण प्रयोगशाला में कराना अनिवार्य है।
32. सभी महत्वपूर्ण कागजात (i) परिमाण विपत्र का मूल्य- बैंक ड्राफ्ट के रूप में (ii) अग्रधन की राशि (iii) आयकर पैन नं0, (iv) GST निवंधन (v) उचित श्रेणी का निबंधन प्रमाण-पत्र (vi) जिला पदाधिकारी/ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त वैध चरित्र प्रमाण-पत्र (कम्पनी एकट के तहत निबंधित कम्पनी के सभी प्रबन्धक का अलग-अलग चरित्र प्रमाण पत्र एवं पार्टनरशिप फार्म में सभी पार्टनर का चरित्र प्रमाण पत्र) अपलोड करना अनिवार्य है तथा (vii) कम्पनी एकट के तहत निबंधित संवेदक को निविदा के साथ Certificate of Incorporation, Memorandum of Association and Article of Association एवं Partnership firm/ LLP में Partnership Deed, निविदा के साथ उपर्युक्त सभी अद्यतन प्रमाण- पत्रों की स्वहस्ताक्षरित पठनीय प्रति अपलोड करना अनिवार्य है, अन्यथा निविदा अमान्य समझी जायेगी।

अद्यतन प्रमाण—पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन की प्राप्ति रसीद मान्य नहीं होगा। सिर्फ अपलोड किये गये कागजातों पर विचार किया जायेगा। निविदाकार द्वारा समर्पित सभी प्रमाण पत्रों की अवधि निविदा आमंत्रण तिथि तक होना अनिवार्य है।

33. निविदादाता निविदा में भाग लेने से पूर्व कार्य स्थल का अच्छी तरह निरीक्षण कर लेंगे एवं योजना के क्रियान्वयन के दौरान स्थल जनित समस्याओं एवं स्थानीय समस्याओं से भलिभाँति अवगत हो लेंगे, इसके आलोक में अपना दर अंकित करेंगे किसी संवेदक द्वारा इस प्रकार की समस्याओं (यथा श्रमबल, निर्माण सामग्रियों, पहुँच पथ, स्थल पर पानी, कार्य स्थल, प्रावकलन क्षेत्रीय अभियंताओं के द्वारा इस तरह के दावा को उनके स्तर से ही अस्वीकृत / अमान्य कर दिया जायेगा।
34. निविदाकार द्वारा विगत तीन वर्षों का Financial Statement आयकर विभाग के Site से Watermark के साथ Download किया हुआ अथवा Chartered Accountant द्वारा Financial Statement /Turnover UDIN Certified हो को निविदा के साथ अपलोड करने पर ही उस वर्ष हेतु मान्य माना जायेगा।
35. निविदा में केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्रों में समान प्रकृति के कार्य कराने का अनुभव, साक्ष्य सहित संलग्न (अपलोड) करने वाले संवेदक का ही निविदा मान्य होगा।
36. भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 566(भ) दिनांक 17.01.2020 के आलोक में प्रतिशत दर निविदा पद्धति में निविदित दर की न्यूनतम सीमा को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है। साथ ही परिमाण विपत्र की दर से कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए पथ निर्माण विभाग का अधिसूचना सं0 448/पटना दिनांक 16.01.2020 अन्तर्गत Additional Performance Guarantee लेने का प्रावधान किया जाता है। तदालोक में Additional Performance Guarantee एकरानामा के पूर्व निम्नप्रकार से लिया जाएगा।
 - a) परिमाण विपत्र की दर से 0 से 5 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए लिया जायेगा।
 - b) परिमाण विपत्र की दर से 5 से 15 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए लिया जायेगा।
 - c) परिमाण विपत्र की दर से 15 से 20 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 01 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए लिया जायेगा।
 - d) परिमाण विपत्र की दर से 20 प्रतिशत से ऊपर कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 02 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए लिया जायेगा।
37. एकाधिक सफल निविदाकारों का उद्धृत दर समान होने पर लॉटरी के आधार पर चुने गये निविदाकार के साथ दर वार्ता की जा सकती है एवं नियमानुसार कार्य आवंटित किया जायेगा।
38. निविदा की विज्ञापित तिथि को यदि किसी कारणवश निविदा प्राप्त करने वाले पदाधिकारी का कार्यालय बन्द हो जाय तब निविदा अगले कार्य दिवस को उसी प्रक्रिया से चार बजे अपराह्न तक प्राप्त की जायेगी।
39. किसी कार्य की प्रथम वार एकल निविदा प्राप्त होने पर उसकी पुर्णनिविदा के रूप में आमंत्रित की जायेगी। निविदाकारों द्वारा जमा किये गये अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार का सूद निगम द्वारा देय नहीं होगा। संबंधित कार्य का आवंटन उपलब्ध रहने पर ही भुगतान किया जायेगा।
40. कार्य की पूर्ण जानकारी के लिए कार्यपालक अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम सम्बन्धित कार्य प्रमण्डल या अधीक्षण अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम अंचल पटना या मुख्य अभियंता बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना से किसी कार्य दिवस के कार्य अवधि में, सम्पर्क किया जा सकता है।
41. निम्नलिखित आशय का शपत पत्र मूल में समर्पित करना अनिवार्य है—
 - (क) मेरे/हमारे विरुद्ध किसी प्रकार का आपाधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।
 - (ख) मुझे/हमें किसी सरकारी/अद्वासरकारी प्रतिष्ठान द्वारा वंचित (Debar), काली सूची में दर्ज (Blacklisted) एवं विगत एक वित्तीय वर्ष के अन्दर एकरानामा रद्द (Rescind) नहीं किया गया है।
 - (ग) मेरा/हमारा कोई निकटतम संबंधी (अभिप्रेत है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के समुदाय पक्ष के संबंधी) संबंधित कार्य प्रमण्डल में कनीय अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/ कार्यपालक अभियन्ता/प्रमण्डलीय लेखा पदाधिकारी/लेखापाल के रूप में कार्यरत नहीं है।
 - (घ) निविदा में संलग्न सभी प्रमाण—पत्र, कागजात, विवरणी सत्य है।
 - (ङ) उपर्युक्त कंडिका 'क', 'ख' एवं 'ग' में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने अथवा कंडिका 'घ' में से कोई अभिलेख असत्य, नकली, जाली पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार मेरे ऊपर विधि सम्मत दण्ड, मेरे निवंधन को काली सूची में दर्ज करने, प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होंगे।
42. ई. निविदा से संबंधित कार्यों के परिमाण—विपत्र का मूल्य तथा विधिवत रूप में अग्रधन की देय राशि एवं शपथ पत्र मूल रूप में कार्यपालक अभियंता, संबंधित कार्य प्रमण्डल/अधीक्षण अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, कार्य अंचल, पटना/मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना, के लेखा शाखा में, तकनीकी विड खोलने की तिथि एवं समय तक, जमा करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगी।

[Signature]

कृ०पृ००३०....५

43. जाँच के क्रम में कोई भी अभिलेख गलत पाए जाने पर बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

मुख्य अधिकारी
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना।

ज्ञापांक— एच०क्यू— 363

पटना, दिनांक—

1/8/2021

प्रतिलिपि— कार्यपालक अभियन्ता/सहायक अभियन्ता, परिमाण विपत्र शाखा, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना को परिमाण विपत्र अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य अधिकारी
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना।

ज्ञापांक— एच०क्यू— 363

पटना, दिनांक—

1/8/2021

प्रतिलिपि— कार्यपालक अभियन्ता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, कार्य प्रमण्डल— पटना, दरभंगा, मगध कैम्प डेहरी ऑन सोन, पूर्णियाँ, राजगीर, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर कैम्प हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।

मुख्य अधिकारी
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना।

ज्ञापांक— एच०क्यू— 363

पटना, दिनांक—

1/8/2021

प्रतिलिपि— मुख्य तकनीकी परामर्शी, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल— 1/2, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/ श्री जितेन्द्र गिरि, निजी सहायक/ कार्यपालक अभियंता, प्रमण्डल— मोनिटरिंग/ विद्युत/ सहायक प्रावैधिक सचिव/ निरूपण—1/2/ सचिव/ मुख्य लेखापदाधिकारी/ कार्यालय अधीक्षक (कार्य), बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य अधिकारी
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना।

ज्ञापांक— एच०क्यू— 363

पटना, दिनांक—

1/8/2021

प्रतिलिपि— पुलिस अधीक्षक, गया/ पटना/ सिवान/ सीतामढी/ अररिया/ मुजफ्फरपुर/ पूर्णियाँ/ मधुबनी/ दरभंगा एवं भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य अधिकारी
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना।

29/11/2021

29/11/2021

29/11/21

29/11/21

29

9

9/1